HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर 	दिनांक 21.01.2023

प्रभावी पैरवी कर 03 अभियुक्तों को अधिकतम 04-04 वर्ष के कठोर करावास व 5,000-5,000 रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई गई।

जनपद हमीरपुर पैरवी सेल के प्रभावी पैरवी में न्यायालय (गैंगेस्टर कोर्ट) द्वारा आज दिनांक 21.01.2023 को नामजद 03 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप,थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 26/03 अन्तर्गत धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट नामजद अभियुक्त 1. गजराज केवट पुत्र महावीर 2. दुर्वे केवट पुत्र रजवा केवट, 3. राम बाबू केवट पुत्र लोटन केवट को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष के कारावास एवं 5,000-5,000 हजार रु0 के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।